बीकेटी में नैमिष नगर बसाएगा एलडीए, बैठक में दिया प्रजेन्टेशन

आगरा एक्सप्रेस-वे पर अब उद्योग नगर बसाया जाएगा

योजना

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस-वे पर उद्योग नगर और बीकेटी में नैमिष नगर बसेगा। ये दोनों आवासीय योजनाएं एलडीए विकसित करेगा। सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग डॉ. बलकार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को आवास एवं विकास परिषद सभागार में हुयी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों योजनाओं का प्रेजेन्टेशन दिया गया।

बैठक में एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे पर 5610 एकड़ क्षेत्रफल में उद्योग नगर विकसित किया जाएगा। जिसके लिए सदर व सरोजनीनगर तहसील के ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा एवं दोना की भूमि चिन्हित की गयी है। इसी तरह बीकेटी में सीतापुर, रैथा रोड पर लगभग 2504 एकड़ क्षेत्रफल में नैमिष नगर विकसित किया जाएगा। जिसके लिए बीकेटी तहसील के ग्राम-भौली, लक्ष्मीपुर, पूरब गांव, पुरवा आदि की भूमि चिन्हित की गयी है। दोनों आवासीय योजनाओं में तीन लाख से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी। साथ ही उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा व लॉजिस्टिक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा। इस मौके पर डॉ. बलकार सिंह द्वारा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्राधिकरण की आईटी सिटी एवं वेलनेस सिटी की प्रगति की भी समीक्षा की गयी। अवगत कराया गया कि दोनों योजनाओं के लिए भूमि जुटाव का कार्य तेजी से किया जा रहा है। लैंड पूलिंग से 500 बीघा से अधिक भूमि के प्रस्ताव प्राप्त किये जा चुके हैं। बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अनिल कुमार मिश्रा, आवास बन्धु निदेशक रवि जैन समेत अन्य मौजूद रहे।

03 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा

■ 5610 एकड़ क्षेत्रफल में उद्योग नगर विकसित किया जाएगा

गोमती नगर में तीन अवैध निर्माण सील

एलडीए के दस्ते ने शुक्रवार को गोमती नगर व गोमती नगर विस्तार में तीन अवैध निर्माण सील किये गये। वहीं, गुडम्बा व सैरपुर मे पांच अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि बद्रीनाथ तिवारी व अन्य द्वारा गोमती नगर के विनीत खण्ड में भूखण्ड अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण करवाया जा रहा था। इसी तरह अभय सिंह व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार मे अवैध रूप से चार मंजिला भवन का निर्माण कराया जा रहा था। कई अवैध निर्माण सील कराए गए।